

रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश
एल०डी०ए० कामर्शियल काम्पलेक्स, प्रथमतल,
विश्वासखण्ड - 3 गोमतीनगर - लखनऊ।
दिनांक::लखनऊ:: १३ जून, 2017

आहरण वितरण अधिकारी

मुख्यालय लखनऊ।


रेशम विकास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-17/2017/177/74-2-2017-16(ब)/2017 दिनांक 18 मई, 2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान सं०-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के लेखा शीर्षक 2851-ग्राम एवं लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-03-प्रादेशिक कोआपरेटिव सेरीकल्चर फडरेशन लि० लखनऊ को सहायता योजना हेतु कुल प्रावधानित धनराशि रू० 2.00 लाख के सापेक्ष प्रथम पाँच माह हेतु (अप्रैल से अगस्त, 2017) हेतु लेखानुदान रू० 0.83 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि रू० 83,000/- (रूपये तिरासी हजार मात्र) का आवंटन संलग्नक के अनुसार निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है:-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व एसी स्वीकृति/सहमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
2. आवंटित धनराशि का नियमानुसार, जहां आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर अथवा प्रतिनिधायन की सीमा के अन्तर्गत व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटित धनराशि की सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय और इसका ध्यान रखा जाय कि दायित्वों का सृजन किसी भी दशा में न होने पाये, यदि किसी प्रकार का ऋणात्मक व्यय किया जाता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
4. शासन द्वारा समय-समय पर मितव्ययता से संबंधित निर्गत निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
5. यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे वित्तीय नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व ही (माह फरवरी 2018 के अन्तिम सप्ताह) निश्चित रूप से निदेशालय को समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें।

6. आवंटित की जा रही धनराशि का भुगतान संबंधित को नियमानुसार उनके बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से E-Payment ही किया जाए।
7. उक्त स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016-बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02.01.2017 में दिये गये शर्तों /नियमों के अनुसार किया जाए।

आवंटित धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं०-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग -03-प्रादेशिक को-आपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन लि० लखनऊ को सहायता के नामे डाला जायेगा। इस आवंटन की प्रविष्टि अनुदान सं०-10 के वर्ष 2017-18 के आवंटन पंजिका के पृष्ठ-21 पर कर ली गई है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


 13/6/17
 (कृपा शंकर पाण्डेय)
 निदेशक (रेशम)

पत्रांक 03 सेरी०/लेखा/आयो० बजट/2017-18 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि-निम्न को संलग्नक सहित सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15-थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ एवं मेरठ।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
5. व्यय सहायक, मुख्यालय-लखनऊ।
6. वरिष्ठ आडिटर मुख्यालय लखनऊ।
7. प्रोग्रामर/कम्प्यूटर अनुभाग, रेशम निदेशालय उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से कि उपरोक्त को वेबसाइट पर अपलोड कर दे।


 (पी०सी० चौधरी)
 वित्त नियंत्रक

पत्रांक 03 /सरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18 दिनांक: 13 जून, 2017 का अनुलग्नक
 अनुदान सं0- 10- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)
 2851- ग्राम तथा लघु उद्योग -107-रेशम उत्पादन उद्योग


03-प्रादेशिक को-आपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन लि0 लखनऊ को सहायता के अर्न्तगत वर्ष 2017-18 हेतु आवंटित धनराशि का विवरण
 (धनराशि ₹0 में)

क0सं0	आहरण एवं वितरण अधिकारी का पदनाम	जनपद	कोषागार का नाम	आवंटित धनराशि		पूर्व में योजना के अर्न्तगत आवंटित धनराशि का योग	प्रगामी योग
				सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	योग		
1	2	3	4	20	6	7	8
1	उप निदेशक, रेशम	रेशम निदेशालय, मुख्यालय, लखनऊ	जवाहर भवन, लखनऊ	83000	83000	0	83000
	योग:-			83000	83000	0	83000

(₹0 लिरसी हजार मात्र)

तेरह अंको का कोड नम्बर

2	8	5	1	0	0	1	0	7	0	3	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


 (पी0सी0 चौधरी)
 वित्त नियंत्रक